कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-02.11.2024

विषयः- थाना मण्डुवाडीह मे पंजीकृत मुकदमे में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार गुप्ता को थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व मे थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0246/2024 धारा 376,313,506 भा0द0वि0 व 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्रीवास्तव गुप्ता निवासी सरहुला थाना नगसर जनपद गाजीपुर को आज दिनांक-02.11.2024 को समय करीब 15.10 बजे एफ0सी0आई0 तिराहे गोदाम रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-01.11.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 31 दिसंबर 2016 की रात को प्रतिवादी सुनील गुप्ता ने बिना मेरी सहमति के मेरे साथ बलात्कार किया और मोबाइल में उसका वीडियो बना लिया फिर उसने ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया और तब से आये दिन प्रतिवादी सुनील गुप्ता को जब भी मौका मिलता था वह मेरे साथ गलत संबंध बनाने लगता था और विरोध करने पर वीडियो वायरल करने और मेरी मां को वीडियो दिखाने की धमकी देने लगा। प्रतिवादी सुनील गुप्ता ने वर्ष 2016 से 2024 तक जबरदस्ती ब्लैक मेल करके मेरे साथ बलात्कार किया और मेरा शारीरिक शोषण किया। इस बीच मैं चार बार प्रेग्नेंट भी हो गयी और प्रतिवादी सुनील गुप्ता मेरा गर्भपात करवा देता था और मुझसे कहता था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और शादी का झूठा आश्वासन देकर मेरा लगातार यौन शोषण किया, जिसके आधार पर थाना मण्डुवाडीह में मु0अ0सं0-0246/2024 धारा 376/313/506 भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा ¾ पॉक्सो एक्ट की घटोत्तरी करते हुए धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक भरत उपाध्याय द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्रीवास्तव गुप्ता निवासी सरहुला थाना नगसर जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- एफ0सी0आई0 तिराहे गोदाम रोड के पास से, दिनांक-02.11.2024 को समय करीब 15.10 बजे।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद वीवो मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-0246/2024 धारा 376,313,506 भा0द0वि0 व 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- प्रभारी निरीक्षक भरत उपाध्याय थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।

2- उ0नि0 सुनील कुमार राय थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।

3- हे0का0 संजय कुमार थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।